संख्या-08/306/एक-1-2016-5(16)/2015

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बाँदा ।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 08 मार्च, 2016

विषय:- सोलर पावर प्लाण्ट हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-154 (2) के अन्तर्गत विहित सीमा से अधिक भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल, बाँदा के पत्र संख्या-2239/आर0ए0-8-भूमि क्रय अनु0/2015-16, दिनाँक 20.07.2015 के साथ संलग्न आपके पत्र संख्या-1939/डीएलआरसी-12ए/2015-16, दिनाँक 04.07.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु ग्राम लोदीपुरा एवं खंगर्रा तहसील कुलपहाड़ जनपद महोबा में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-154 (2) के साथ सपठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 231 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके कुल भूमि 59.751 हेक्टेअर भूमि की अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) ग्रीन ऊर्जा सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु भूमि का संक्रमण अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार किया जायेगा। निर्धारित मानक से अधिक भूमि का संक्रमण कदापि नहीं किया जायेगा।

(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा 157ए, 157एए, 157बी, 157बी बी तथा अन्य संगत शासनादेशों/नियमों के अधीन की जायेगी।

(3) सोलर पावर प्लान्ट हेतु क्रय की गई भूमि का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिए भूमि क्रय किया जाना है। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर शासन द्वारा उपर्युक्त अनुमति निरस्त कर भूमि राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी।

shasnadesh.up.nic.in

(4) क्रय की गई भूमि अधिकृत संस्था के नाम होगी।

(5) उक्त भूमि धारित करने हेतु किया गया प्रत्येक संक्रमण प्रचलित अधिनियमों, नियमों, विनियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अधीन होगा।

(6) संस्था के अध्यक्ष/सचिव अथवा किसी अन्य पदाधिकारी/अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भूमि का कोई भी भाग किसी संस्था/व्यक्ति को किसी भी रूप में राजस्व विभाग की पूर्वानुमति के बिना हस्तान्तरण/विक्रय नहीं करेगा।

(7) उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर संस्था की विहित सीमा से अधिक भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया जायेगा तथा ऐसे निहितन के बदले कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।

(8) सोलर पावर प्लान्ट हेतु ले-आउट प्लान के अनुसार ही भूमि अनुमन्य होगी।

(9) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम सभा/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण एवं विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) जिलाधिकारी, महोबा द्वारा उपर्युक्त शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। क्रय की गई भूमि का विवरण राजस्व विभाग तथा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-306(1)/एक-1-2016-5(16)/2015 तद दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल ।
4. निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)

shasnadesh.up.nic.in

विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in